कार्यालय आयुक्त गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश
17, न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ
E-mail: jccmarketing2014@gmail.com
टोल फ्री नम्बर : 1800–121–3203

परिपत्र संख्या : 97 /सी/क्रय–2/सट्टा नीति/02/2023–24/दिनांक : 12.05.2023

1. समस्त उप गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश
2. समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश

विषय :– पेराई सत्र 2023–24 के लिए गन्ने के सट्टे एवं आपूर्ति की नीति।

आप अवगत ही हैं कि प्रदेश में लगभग 46 लाख गन्ना कृषक, कार्यरत चीनी मिलों को 158 सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं 13 चीनी मिल समितियों के माध्यम से गन्ने की आपूर्ति करते हैं। वर्तमान में निगम क्षेत्र की 03, सहकारी क्षेत्र की 23 व निजी क्षेत्र की 92, कुल 118 चीनी मिलें पेराई सत्र 2022–23 में गन्ना पेराई कार्य कर रही हैं। अद्यतन प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा, कुल उत्पादित गन्ने की लगभग 46 प्रतिशत पेराई अब तक की गई है। शेष गन्ना गुड़, राब एवं खाण्डसारी तथा बीज आदि में प्रयुक्त हुआ है। इसी क्रम में जब गन्ना किसानों को गुड़ तथा खाण्डसारी बनाने वाली इकाईयों से अधिक लाभकारी मूल्य मिलता है तब वे खाण्डसारी तथा गुड़ बनाने वाली इकाईयों को गन्ना आपूर्ति करने को प्राथमिकता देते हैं परन्तु जब गुड़ और खाण्डसारी इकाईयों पर अपेक्षाकृत कम मूल्य मिलता है तब किसानों का दबाव मिलों में गन्ना आपूर्ति हेतु बढ़ जाता है। इसके परिणामस्वरूप कभी तो चीनी मिलें मार्च माह में बन्द हो जाना प्रारम्भ हो जाती हैं और कभी–कभी जून तक गन्ना पेराई करती हैं, जिससे चीनी परता धीरे–धीरे कम होता जाता है तथा चीनी मिलों को हानि होती है। उक्त आलोक में यह आवश्यक है कि प्रदेश की चीनी मिलों की पेराई क्षमता, गन्ना उत्पादन तथा चीनी मिलों को गन्ने की उपलब्धता में सन्तुलन बनाया जाए, जिससे चीनी मिलों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप पेराई हेतु गन्ना उपलब्ध हो सके तथा चीनी मिलों में आपस में गन्ना प्राप्त करने की अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न न होने पाये।

उपर्युक्त समस्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए आगामी **पेराई सत्र 2023–24** के लिए गन्ने के सट्टे एवं आपूर्ति की नीति जारी करते हुए, निम्नलिखित निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं :–

1– चीनी मिलों के लिए गन्ने की आवश्यकता :–

गन्ने की आवश्यकता का निर्धारण उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा–12 के अन्तर्गत अलग से किया जायेगा। प्रदेश की सभी चीनी मिलों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवंटित क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, गन्ना उपलब्धता एवं चीनी मिल की पेराई क्षमता आदि को ध्यान में रखते हुए, अपने आवंटित क्षेत्र से निर्धारित आवश्यकता की पूर्ति हेतु गत सत्र के सापेक्ष गन्ने के ड्राल को अधिक से अधिक बढ़ायें एवं न्यूनतम 60 से 70 प्रतिशत गन्ने का ड्राल प्राप्त करें।

2– नये सदस्यों की भर्ती/सदस्य सूची का संशोधन एवं बेसिक कोटा निर्धारण :–

2(i) प्रत्येक समिति में आपूर्तिकर्ता सदस्य कृषकों का राजस्व अभिलेखों के आधार पर कृषि योग्य भूमि का गाटा संख्यावार प्रमाणिक विवरण अनिवार्य रूप से रखा जायेगा तथा वर्ष के दौरान होने वाले परिवर्तनों का संशोधन करके इसे अद्यावधिक किया जायेगा।

2(ii) गन्ने का सट्टा केवल उन्हीं कृषकों का किया जायेगा, जो सहकारी चीनी मिल/गन्ना समिति के नियमतः सदस्य हों तथा जिनके पास राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि हो तथा इसमें गन्ना फसल बोई गई हो। राजस्व एवं सिंचाई विभाग के पट्टेदारों के पट्टे एवं गन्ना क्षेत्रफल के भौतिक सत्यापन के आधार पर गत वर्षों की भांति सट्टा की सुविधा उपलब्ध होगी।

2(iii–क) गन्ना समितियों के नये सदस्य जो नियमानुसार **30 सितम्बर, 2023** तक बनाये जायेगें, उन्हें आगामी पेराई सत्र में गन्ना आपूर्ति की सुविधा अनुमन्य होगी। जो नये सदस्य बनाये जायेगें, उनके भूमि अभिलेखों की पुष्टि राजस्व विभाग की वेबसाइट upbhulekh.gov.in से अनिवार्य रूप से की जायेगी। समिति की सदस्यता प्राप्त करने हेतु एस.जी.के. की वेबसाइट enquiry.caneup.in पर आनलाइन आवेदन किये जा सकेंगे।

2(iii–ख) समिति के पुराने विधिवत् सदस्य जिन्होंने किन्हीं कारणों से पेराई सत्र 2021–22 एवं 2022–23 में चीनी मिल को गन्ना आपूर्ति नहीं किया है, का सट्टा उनके नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि के अन्तर्गत गन्ना क्षेत्रफल के सत्यापन के उपरान्त चीनी मिल की औसत गन्ना आपूर्ति के आधार पर लागू किया जायेगा।

2(iii–ग) गन्ना समिति के पुराने सदस्य कृषक जिन्होंने पेराई सत्र 2022–23 में ही चीनी मिल को गन्ना आपूर्ति की है, का बेसिक कोटा, उनके द्वारा पेराई सत्र 2022–23 में की गयी गन्ना आपूर्ति अथवा इसी पेराई सत्र में चीनी मिल के कृषकों की औसत गन्ना आपूर्ति में से जो भी कम हो, निर्धारित किया जायेगा।

2(iv-क) गन्ना समितियों के सदस्यों की उन्हें आवंटित किये गये यूनिक ग्रोवर कोड (Unique Grower Code) सहित ग्रामवार सूची बनायी जायेगी, अगस्त माह में इस सूची की गहन जांच पड़ताल एवं सदस्यों का सत्यापन करके मृतक, अनियमित रूप से बने हुए, भूमिहीन, अयोग्य एवं अनर्ह सदस्यों का नाम सूची से निकालते हुए, नये एवं मृतक के वारिस सदस्यों का नाम सूची में अंकित करते हुए, सूची को संशोधित किया जायेगा तथा संशोधित सूची के अनुसार प्रत्येक सदस्य के नाम भू–राजस्व अभिलेखों के आधार पर कृषि योग्य भूमि एवं गन्ना क्षेत्रफल का मिलान किया जायेगा। मिलान के उपरान्त डबल, भूमिहीन एवं फर्जी सट्टों को बन्द कर दिया जायेगा जिससे पेराई सत्र के मध्य डबल, भूमिहीन एवं फर्जी सट्टों की समस्या उत्पन्न न हो।

2(iv–ख) पेराई सत्र के मध्य यदि किसी गन्ना आपूर्तिकर्ता कृषक का डबल बाण्ड (दोहरा सट्टा), फर्जी, भूमिहीन, अनियमित सट्टा प्रकाश में आता हैं तो ऐसे सट्टों की सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं सचिव प्रभारी, सहकारी गन्ना

विकास समिति लि. द्वारा संयुक्त रूप से एक सप्ताह के अन्दर विधिवत् जांच करते हुए गलत पाये गये सट्टों का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जायेगा तथा ऐसे प्रकरणों को आगामी केन इम्प्लीमेण्टेशन कमेटी की बैठक में रखकर सम्बन्धित कृषक द्वारा की गयी गन्ना आपूर्ति एवं देय गन्ना मूल्य भुगतान पर रोक लगाने के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा, तद्नुसार सम्बन्धित सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लि. द्वारा विस्तृत रिपोर्ट के साथ एक पक्ष के भीतर प्रकरण उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 के नियम–46 के अन्तर्गत सम्बन्धित एस.डी.एम. कोर्ट को अनिवार्य रूप से वाद के रूप में सन्दर्भित किये जायेंगे।

2(v–अ) चीनी मिल को आपूर्ति करने वाले सभी कृषकों का बेसिक कोटा निर्धारित किया जायेगा, जिसकी गणना निम्न प्रकार की जायेगी :–

गन्ना आपूर्तिकर्ता कृषक की विगत दो पेराई सत्रों (पेराई सत्र 2021–22, 2022–23), विगत तीन पेराई सत्रों (पेराई सत्र 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23) एवं विगत पांच पेराई सत्रों (पेराई सत्र 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23) की औसत गन्ना आपूर्ति में से जो भी अधिकतम औसत गन्ना आपूर्ति होगी, उसे उस कृषक का पेराई सत्र 2023–24 के लिए बेसिक कोटा माना जायेगा। जो कृषक पेराई सत्र 2022–23 में नये सदस्य बने हैं, तथा एक वर्ष ही गन्ना आपूर्ति किए हैं, उनके एक वर्ष की गन्ना आपूर्ति को ही बेसिक कोटा माना जायेगा। पौधशालाधारक एवं उ.प्र. गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर से पंजीकृत बीज गन्ना उत्पादक कृषकों द्वारा सत्र के दौरान बीज के रूप मे वितरित की गयी गन्ने की मात्रा को सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक/उ.प्र. गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर द्वारा संस्तुत किया जायेगा। इस संस्तुत बीज की मात्रा को एस.जी.के. पोर्टल पर सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा तथा उप गन्ना आयुक्त द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी। इस प्रकार बीज की यह मात्रा भी बेसिक कोटा के निर्धारण हेतु उस सत्र में गन्ना आपूर्ति मानी जायेगी। यह प्रक्रिया जुलाई के प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाय। यदि चीनी मिल क्षेत्र में कुल कृषकों का इस प्रकार से आगणित बेसिक कोटा एवं उपज के 85 प्रतिशत के आधार पर निकाले गये कुल सट्टे की मात्रा, चीनी मिल की निर्धारित गन्ना आवश्यकता से कम होती है, तो इस अन्तर की मात्रा को अतिरिक्त सट्टा से पूरा किया जायेगा।

अन्तर आवश्यकता की पूर्ति हेतु सर्वप्रथम ऐसे कृषक जिनके सट्टे की मात्रा मिल के गत पेराई सत्र की प्रति हेक्टेयर औसत गन्ना आपूर्ति से कम हो तो उन्हें मिल की गत पेराई सत्र की औसत गन्ना आपूर्ति तक अतिरिक्त सट्टे का लाभ उनकी उपज के 85 प्रतिशत सीमा तक दिया जायेगा।

यदि ऐसे कृषकों से अन्तर आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो इसे यथावत लागू किया जायेगा, किन्तु यदि ऐसे कृषकों का सट्टा सम्बन्धित मिल की गत पेराई सत्र की औसत आपूर्ति के स्तर तक लाने में अन्तर आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो इन कृषकों पर भी प्रोरेटा का सिद्धान्त लागू होगा तथा यदि ऐसे कृषकों का उपर्युक्तानुसार आगणित सट्टे से सम्बन्धित मिल की अन्तर आवश्यकता

की सम्यक् पूर्ति नहीं हो पाती है तो अन्तर आवश्यकता की शेष सीमा तक अन्य कृषकों को भी प्रोरेटा के अनुसार अतिरिक्त सट्टे की सुविधा देय होगी। **ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई करने वाले गन्ना कृषकों को अतिरिक्त सट्टे में प्राथमिकता दी जायेगी तथा अतिरिक्त सट्टे में अस्वीकृत किस्मों के गन्ने को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अतिरिक्त सट्टे (Additional Bonding) हेतु किसी गन्ना कृषक से प्रशासनिक शुल्क के रूप में धनराशि की कटौती नहीं की जायेगी।**

भूमि क्रय–विक्रय के प्रकरणों में बेसिक कोटा हस्तान्तरण के सम्बन्ध में निम्नानुसार तीन श्रेणियों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी :–

श्रेणी–1 : शत–प्रतिशत कृषि योग्य भूमि क्रय–विक्रय की स्थिति में :–

यदि भूमि विक्रेता गन्ना कृषक है तथा गन्ना समिति का सदस्य है तथा उसके द्वारा शत–प्रतिशत अपनी कृषि योग्य भूमि किसी कृषक को बेची जाती है और वह भूमि क्रेता को हस्तांतरित हो जाती है एवं खतौनी में क्रेता का नाम चढ़ जाता है, तो जमीन बिक्री के साथ उस जमीन पर की गयी गन्ना आपूर्ति के सापेक्ष आगणित बेसिक कोटा भी क्रेता को स्थानान्तरित हो जायेगा एवं विक्रेता कृषक का बेसिक कोटा शून्य कर दिया जायेगा।

श्रेणी–2 : 50 प्रतिशत से अधिक एवं 100 प्रतिशत से कम कृषि योग्य भूमि क्रय–विक्रय की स्थिति में :–

यदि भूमि विक्रेता गन्ना कृषक है तथा गन्ना समिति का सदस्य है तथा उसके द्वारा धारित कुल कृषि योग्य भूमि में से 50 प्रतिशत से अधिक एवं 100 प्रतिशत से कम अपनी कृषि योग्य भूमि किसी कृषक को बेची जाती है और वह भूमि क्रेता को हस्तांतरित हो जाती है एवं खतौनी में क्रेता का नाम चढ़ जाता है, तो बिक्री की गयी कृषि योग्य भूमि से उत्पादित गन्ने की आपूर्ति से तैयार बेसिक कोटा का 50 प्रतिशत अंश अथवा विक्रेता कृषक द्वारा क्रेता कृषक को 50 रूपये के स्टाम्प पेपर पर दी गयी सहमति में से जो अधिक होगा, के आधार पर आगणित बेसिक कोटा, विक्रेता कृषक के कुल बेसिक कोटा से घटा दिया जायेगा एवं क्रेता के बेसिक कोटा में जोड़ दिया जायेगा।

श्रेणी–3 : 50 प्रतिशत से कम कृषि योग्य भूमि क्रय–विक्रय की स्थिति में :–

यदि भूमि विक्रेता गन्ना कृषक है एवं गन्ना समिति का सदस्य है तथा उसके द्वारा धारित कुल कृषि योग्य भूमि में से 50 प्रतिशत से कम अपनी कृषि योग्य भूमि किसी कृषक को बेची जाती है और वह भूमि क्रेता को हस्तांतरित हो जाती है एवं खतौनी में क्रेता का नाम चढ़ जाता है, तो बिक्री की गयी कृषि योग्य भूमि से उत्पादित गन्ने की आपूर्ति से तैयार बेसिक कोटा का स्थानान्तरण क्रेता कृषक को उस दशा में स्थानान्तरित किया जा सकता है जब विक्रेता कृषक, 50 रूपये के स्टाम्प पेपर पर कार्यालय पत्र संख्याः 464/सी/समिति/पर्ची/1(1), दिनांक 30.03.2021 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र देगा। गन्ना समिति द्वारा क्रेता कृषक को विक्रेता कृषक द्वारा प्रदत्त शपथ–पत्र में वर्णित सहमति के आधार परबेसिक कोटा स्थानान्तरित किया जा सकता है जिसमें उक्त कार्यालय पत्र

दिनांक 30.03.2021 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जानी आवश्यक होगी।

2(v–ब) जिन नई चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2022–23 में ट्रायल किया गया है उन चीनी मिल क्षेत्रों में बेसिक कोटा के रूप में कुल उपज का अधिकतम 85 प्रतिशत तक सट्टा किया जायेगा, किन्तु इसकी कुल मात्रा चीनी मिल की गन्ने की निर्धारित आवश्यकता से अधिक नहीं होगी। यदि सट्टा चीनी मिल की गन्ने की निर्धारित आवश्यकता से अधिक हो रहा है, तो उसे प्रोरेटा के आधार पर घटाते हुए कुल सट्टे की मात्रा चीनी मिल की निर्धारित आवश्यकता की सीमा तक लायी जायेगी।

2(vi) उपरोक्त बेसिक कोटा की अधिकतम मात्रा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित आधार होंगे :–

(क) किसी कृषक की कुल भूमि सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत अनुमन्य भू–क्षेत्र से अधिक नहीं मानी जाएगी।

(ख) कृषक के वास्तविक कृषि योग्य भूमि की गणना करते समय उसकी आवासीय भूमि, बाग, तालाब, ईंट भट्टा आदि भू–क्षेत्रों को कुल भूमि क्षेत्रफल में से निकाल दिया जायेगा।

(ग) चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति हेतु किसी कृषक के अधिकतम गन्ना क्षेत्रफल के आगणन हेतु उसके द्वारा बोया गया गन्ने का शत–प्रतिशत क्षेत्रफल अंकित होगा। कृषक का कुल गन्ना क्षेत्रफल उसके द्वारा धारित कुल कृषि योग्य भूमि से अधिक नहीं होगा।

(घ) गन्ना उत्पादन की गणना हेतु मिल से सम्बन्धित जिले में काप कटिंग प्रयोगों पर आधारित प्रति हेक्टेअर औसत उपज को आधार माना जायेगा।

(च) कृषक के कुल उत्पादन की गणना निम्न प्रकार से की जायेगी :–

गन्ना उत्पादन (कुन्तल में) = कृषक का वर्तमान वर्ष में गन्ने का क्षेत्रफल (हेक्टेअर) X चीनी मिल से सम्बंधित जिले में काप कटिंग प्रयोगों पर आधारित औसत उपज (कुन्तल/हेक्टेअर) **(2022–23 की कॉप कटिंग)**

(छ) कृषक का गन्ना क्षेत्रफल प्रस्तर 2(vi)(ग) के अनुसार अंकित किया जायेगा।

(ज) जिन किसानों के पास गन्ने की उपज काप कटिंग प्रयोगों की औसत उपज से अधिक है वे आवश्यकतानुसार **उपज बढ़ोत्तरी हेतु अपने आवेदन पत्र सम्बन्धित गन्ना समिति के सचिव को निर्धारित शुल्क के साथ 30 सितम्बर, 2023 तक दे सकते हैं।** इस हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों, लघु कृषकों एवं अन्य कृषकों से कमशः रू.10/–, रू.100/– एवं रू.200/– प्रति कृषक शुल्क जमा कराया जायेगा। ऐसे कृषक जिनके द्वारा ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से सिचाई की जाती है, उन्हें उपज बढ़ोत्तरी में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। उपज बढ़ोत्तरी में अस्वीकृत प्रजातियों के गन्ने को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। ट्रेन्च विधि से

बुवाई, सहफसली खेती एवं ड्रिप के प्रयोग एक ही खेत पर शुरू करने वाले चयनित **'उत्तम कृषकों'** से उपज बढ़ोत्तरी के प्रार्थना पत्र निःशुल्क प्राप्त किये जायेंगे।

ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना विकास निरीक्षक एवं चीनी मिल प्रतिनिधि उपज बढ़ोत्तरी के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों में से न्यूनतम 10 प्रतिशत खेतों की जांच कराकर अपने जोन की औसत उपज के आंकड़े सम्बन्धित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे। परिषद क्षेत्र के ऐसे न्यूनतम 15 प्लाटों की जिला गन्ना अधिकारी द्वारा स्वयं जांच की जायेगी। परिषद् क्षेत्र से प्राप्त परिणामों की जांच के उपरान्त अधिकतम उपज के 10 प्रतिशत प्रकरणों का सत्यापन, विशेष रूप से अधिक उपज को चिन्हित करते हुए, क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त के स्तर से किया जायेगा। स्थिति से संतुष्ट होने पर क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त उपज बढ़ोत्तरी पर उचित निर्णय लेंगे।

(झ) किसी भी कृषक के कुल सट्टा की सीमा उसकी भू–जोत के अनुसार वर्गीकरण कर उसके सम्मुख अंकित मात्रा तक निम्नवत् निर्धारित होगी :–

- ❖ सीमान्त कृषक– 01 हेक्टेयर (अधिकतम 900 कुन्टल अथवा उपज बढोत्तरी की दशा में अधिकतम **1400 कुं.** तक)
- ❖ लघु कृषक– 02 हेक्टेयर (अधिकतम 1800 कुन्टल अथवा उपज बढोत्तरी की दशा में अधिकतम **2800 कुं.** तक)
- ❖ सामान्य कृषक– 05 हेक्टेयर (अधिकतम 4500 कुन्टल अथवा उपज बढोत्तरी की दशा में अधिकतम **7000 कुं.** तक)
- ❖ किसी कृषक का अधिकतम सट्टा निर्धारण, गन्ना क्षेत्रफल (हैक्टेयर) X 900 कुं. अथवा उपज बढोत्तरी की दशा में **7000 कुं.** में से जो भी कम हो, किया जायेगा।

(ट) विश्वविद्यालय, गन्ना बीज निगम, चीनी मिल, केन्द्र या राज्य सरकार के कृषि विभाग, जेल, पंजीकृत सहकारी संस्था, सार्वजनिक पूजा स्थान जो Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 की धारा–2(सी) के अन्तर्गत विधि द्वारा पूजा स्थल के रूप में विद्यमान हैं, सार्वजनिक ट्रस्ट अथवा जनहित के कार्यों हेतु पंजीकृत निजी ट्रस्ट जिनका पंजीकरण विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत वर्ष 2014 या उससे पूर्व हुआ है, तथा जिनके नाम भूमि हो, के कृषि फार्म, सट्टे की अधिकतम सीमा से मुक्त रहेंगें, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि उनके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कुल कृषि योग्य भूमि का अधिकतम 60 प्रतिशत ही गन्ना क्षेत्रफल माना जायेगा तथा तद्नुसार ही इनके सट्टे का निर्धारण किया जायेगा।

इस प्रस्तर में आच्छादित संस्थाओं यथा–पंजीकृत सहकारी संस्था, सार्वजनिक पूजा स्थान, सार्वजनिक ट्रस्ट अथवा जनहित के कार्यों हेतु पंजीकृत निजी ट्रस्ट अपने आवेदन पत्र के साथ **रू.10 (रुपया दस मात्र)** के स्टाम्प पेपर पर सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी को सम्बोधित **नोटराइज्ड शपथ पत्र** पर एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। प्रमाण पत्र में यह उल्लेख होगा कि उनकी संस्था का नाम क्या है, संस्था कब रजिस्टर्ड हुई, उसका स्टेटस क्या है, संस्था का पैन कार्ड क्या है, जी.एस.टी. नम्बर क्या है, संस्था का उद्देश्य क्या है, संस्था के पास कितनी कृषि

योग्य भूमि है तथा गत कितने वर्षों से संस्था द्वारा किस चीनी मिल को किस सहकारी गन्ना विकास समिति के माध्यम से गन्ना आपूर्ति की जा रही है। सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी उक्त शपथ पत्र का परीक्षण कर संस्तुति सहित सम्बन्धित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त के पास अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रेषित करेंगे तथा क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त सम्बन्धित संस्था को सट्टे की अधिकतम सीमा से मुक्त करने की अनुमति प्रदान करेंगे।

(ठ) ऋण वसूली के हित में गन्ना समितियों के पुराने बकाएदारों के सट्टे बकाए की सीमा तक किये जा सकते हैं, परन्तु वह मात्रा कुल गन्ना उत्पादन के 85 प्रतिशत मात्रा से अधिक नहीं होगी।

2(vii) कृषकवार एवं ग्रामवार सर्वे तथा सट्टा सूची का प्रदर्शन सम्बन्धित गन्ना पर्यवेक्षक/समिति कार्मिकों एवं मिल कर्मचारी द्वारा निर्दिष्ट सार्वजनिक स्थल पर **20.07.2023 से 30.08.2023** के मध्य सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक तथा सम्बन्धित चीनी मिल के गन्ना प्रबन्धक के पर्यवेक्षण में सम्बन्धित ग्राम प्रधान की उपस्थिति में, ग्राम प्रधान को अवलोकित कराते हुए ग्रामवार प्रदर्शन अनिवार्य रूप से किया जायेगा। ग्रामवार प्रदर्शन की तिथियों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा तथा सूची पर किसानों की आपत्तियां प्राप्त की जायेगी, जिसे एक पंजिका में सूचीबद्ध किया जायेगा। किसानों द्वारा प्रस्तुत लिखित आपत्तियों की जाँच ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं मुख्य गन्ना प्रबन्धक द्वारा संयुक्त रूप से की जायेगी। प्राप्त जांच परिणामों के आधार पर संशोधन की अनुमति हेतु जिला गन्ना अधिकारी को संस्तुति प्रेषित की जायेगी। जिला गन्ना अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षणोपरान्त आवश्यक संशोधन उप गन्ना आयुक्त की अनुमति उपरान्त किये जायेंगे। इसे सम्बन्धित नोडल अधिकारी को भी अवगत कराया जायेगा। ग्रामवार सर्वे एवं सट्टा प्रदर्शन के दौरान प्राप्त आपत्तियों के नियमानुसार निस्तारण उपरान्त प्राथमिक कलेण्डर (कच्चा कलेण्डर) का आनलाइन निष्कासन एवं वितरण दिनांक 01.09.2023 से 10.09.2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इसके पश्चात **दिनांक 11.09.2023 से 30.09.2023 के मध्य समिति स्तरीय सट्टा प्रदर्शन मेला लगाया जायेगा** तथा इसमें प्राप्त आपत्तियों का उपर्युक्तानुसार निराकरण करते हुए अन्तिम रूप से सट्टा सूची तैयार की जायेगी। उक्तानुसार तैयार सूची को सहकारी गन्ना विकास समिति के सभापति को भी अवलोकित कराया जायेगा।

2(viii–अ) समिति स्तरीय सटटा प्रदर्शन के दौरान प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण उपरान्त अन्तिम कलेण्डर एस.जी.के. की वेबसाइट caneup.in एवं मोबाईल एप e-Ganna पर आनलाइन उपलब्ध कराया जायेगा। अंतिम कलेण्डर का वितरण किसानों को चीनी मिल चलने के एक सप्ताह पूर्व आनलाइन कर दिया जायेगा।

2(viii–ब) कलेण्डर की तैयारी के लिए आंकडे कम्प्यूटर में फीड करने के पूर्व उसके चेकलिस्ट की जांच सम्बन्धित ब्लाक इंचार्ज से करवाना अनिवार्य होगा। यह चेकलिस्ट कम्प्यूटर से दो प्रतियों में तैयार कर ब्लाक इन्चार्ज को उपलब्ध करायी जायेगी। जांच के उपरान्त चेक लिस्ट की एक प्रति कम्प्यूटर में संशोधन हेतु भेजी जायेगी तथा एक प्रति ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के कार्यालय में अनुरक्षित रहेगी।

2(viii–स) उपरोक्तानुसार संशोधित सूची जिसमें कोई काट–पीट/अपरलेखन न हो कम्प्यूटर से 5 प्रतियों में बनाई जायेगी तथा यह सूची सम्बन्धित सचिव, गन्ना/मिल समिति, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, मिल के गन्ना प्रबन्धक, मिल के प्रधान प्रबन्धक एवं सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित रहेगी। **इस सूची की पी.डी.एफ. फाइल मे परिवर्तित करते हुए एक–एक प्रति सम्बन्धित गन्ना समिति, जिला गन्ना अधिकारी, उप गन्ना आयुक्त, चीनी मिल तथा पांचवी प्रति ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के कार्यालय में अनुरक्षित रहेगी।** उपरोक्त समस्त कार्यवाही 10 अक्टूबर तक अवश्य पूर्ण हो जानी चाहिए। **इसके बाद सट्टा सम्बन्धी आपत्तियों के प्रार्थना–पत्र ग्राह्य नहीं होंगे।**

2(viii–द) उपर्युक्तानुसार निर्धारित सट्टे की मात्रा के लिए गन्ना समिति द्वारा प्रत्येक कृषक से निर्धारित रूप–पत्र पर अनुबन्ध कराया जायेगा।

3– कृषकों के निर्धारित सट्टे से अधिक गन्ने की खपत के सम्बन्ध में छूट :–

यदि किसी कृषक के पास उसके निर्धारित सट्टे से अधिक गन्ना उपलब्ध है तो वह उसे खाण्डसारी इकाईयों को आपूर्ति करने या गुड़ बनाने में उपयोग करने आदि में स्वतंत्र होगा तथा **सट्टे से अधिक उत्पादित गन्ने की खरीद हेतु चीनी मिलों/विभाग का कोई दायित्व नही होगा।**

4– सट्टे से कम आपूर्ति एवं खरीद होने की दशा में पेनाल्टी :–

जो कृषक निर्धारित सट्टे की मात्रा का 85 प्रतिशत के बराबर गन्ने की आपूर्ति चीनी मिल को करेगें उनसे कोई पेनाल्टी नही ली जायेगी किन्तु 85 प्रतिशत से कम आपूर्ति होने पर कृषक को उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति एवं खरीद आदेश, 1954 के प्राविधानों के अनुसार पेनाल्टी देय होगी। इसी प्रकार यदि कोई चीनी मिल गन्ना समिति के साथ हुए अनुबन्ध के अनुसार गन्ने की खरीद नही करेगी तो उसे भी उ.प्र. गन्ना पूर्ति तथा खरीद आदेश, 1954 के प्राविधानों के अनुसार समिति को पेनाल्टी देना होगा।

5– गन्ना आपूर्ति के सम्बन्ध में प्रकिया :–

5(i) गन्ना आपूर्ति से सम्बन्धित कार्यो का उत्तरदायित्व गन्ना समिति के सचिव इन्चार्ज का होगा। सचिव गन्ना आपूर्ति कार्यो को सुचारू रूप से संचालन के लिए जिला गन्ना अधिकारी की पूर्वानुमति से अन्य कर्मचारियों को सम्बद्ध कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण उत्तरदायित्व सचिव का ही होगा।

5(ii) गन्ना सुरक्षण आदेश प्रसारित होने के 14 दिनों के अन्दर गन्ना समिति द्वारा सम्बन्धित चीनी मिल को उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति एवं खरीद आदेश, 1954 के प्राविधानों के अनुसार गन्ने का आफर दिया जायेगा तथा उक्त आफर के आधार पर ही चीनी मिल एवं गन्ना समिति के मध्य उक्त आदेश, 1954 में निर्धारित प्रारूप 'सी' पर अनुबन्ध किया जायेगा। जो गन्ना समितियां एवं चीनी मिलें उपर्युक्तानुसार अनुबन्ध नही करेगी, उनके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

5(iii) गन्ना समिति द्वारा सदस्य कृषकों के सट्टे के अनुसार ही चीनी मिल को आफर दिया जायेगा। **सट्टे से अधिक आफर देने पर समिति के सचिव को उत्तरदायी माना जायेगा।** अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि गन्ना खरीद, आफर एवं अनुबन्ध के अनुसार की जाये। जिला गन्ना अधिकारी तथा क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त अपने अधीनस्थ गन्ना समितियों में यह सुनिश्चित कर लेंगे कि समय के अन्दर आफर तथा अनुबन्ध की कार्यवाही नियमानुसार निर्धारित **प्रारूप 'ए'** एवं **'सी'** पर सम्पन्न हो गई है। यदि **चीनी मिल द्वारा समिति से प्रेषित आफर की स्वीकृति का निर्णय 15 दिनों के अन्दर नही लिया जाता है तो यह मान लिया जायेगा कि चीनी मिल को समिति द्वारा प्रेषित आफर मान्य है।**

5(iv) ऐसे परिवार जहां जमीन तो परिवार के कई सदस्यों के नाम है, किन्तु विगत में गन्ने की आपूर्ति एक सदस्य के माध्यम से हो रही है, ऐसे मामलों में पूर्ववर्ती सदस्य के नाम से ही गन्ने की आपूर्ति की सुविधा अनुमन्य रहेगी, किन्तु कृषक के गन्ना आपूर्ति अभिलेखों में नाम के आगे कोष्ठक में संयुक्त खातेदारों की संख्या व नाम का उल्लेख अवश्य किया जायेगा। यदि संयुक्त परिवार के सदस्य अपना खाता अलग करके गन्ना आपूर्ति करना चाहें तो जिला गन्ना अधिकारी की अनुमति के उपरान्त उनका बेसिक कोटा भूमि के बराबर समानुपातिक आधार पर सदस्यों के बीच बांट दिया जायेगा, प्रतिबन्ध यह रहेगा कि पूर्व में लिए गये ऋण की वसूली एक अथवा समस्त खातेदारों के द्वारा आपूर्ति किए गये गन्ने के मूल्य के भुगतान से की जा सकेगी। संयुक्त परिवार के सदस्यों के खातों का ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा शत–प्रतिशत, जिला गन्ना अधिकारी द्वारा 50 प्रतिशत एवं क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त द्वारा 25 प्रतिशत सत्यापन किया जायेगा ।

यदि किसी सट्टाधारक सदस्य कृषक की मृत्यु पेराई सत्र के दौरान हो जाती है तो कृषक के आपूर्ति योग्य गन्ने की सामयिक खपत के दृष्टिगत उसका सट्टा चालू रखा जायेगा, किन्तु यह सुविधा केवल इसी पेराई सत्र हेतु मान्य होगी।

5(v–क) ऐसे गन्ना कृषक जो समिति क्षेत्र में एक से अधिक स्थान पर गन्ने की खेती करते हैं, उनके समस्त खेतों का विवरण संकलित करके ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा एक ही स्थान से सट्टा चलाया जायेगा। ट्रान्सफर इन्ट्री की जांच सम्बन्धित ब्लाक इन्चार्ज द्वारा राजस्व अभिलेखों के आधार पर ही की जायेगी तथा ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही दूसरे गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा ट्रान्सफर इन्ट्री स्वीकार की जाएगी, जिससे कोई कृषक इसका अनुचित लाभ न उठा सके। सामान्यतः कृषक का सट्टा वहीं चालू रखा जायेगा, जिस ग्राम से वह समिति का सदस्य हो। यदि अत्यधिक दूरी के कारण कोई कृषक एक स्थान पर गन्ना आपूर्ति करने में असमर्थ हो तो उस दशा में जिला गन्ना अधिकारी की अनुमति लेकर कृषकों का सट्टा समिति के दो कय केन्द्रों में चालू रखा जा सकता है, लेकिन कृषक से समिति के कर्जे की वसूली के लिए सम्बन्धित गन्ना समिति के सचिव का ही उत्तरदायित्व होगा। सचिव का यह भी दायित्व होगा कि ऐसे कृषक कोई अनुचित लाभ न उठा सके। समिति के कार्य क्षेत्र के बाहर की ट्रान्सफर इन्ट्री किसी भी दशा में जिला गन्ना अधिकारी के पूर्वानुमति के बिना स्वीकार नहीं की जायेगी। ट्रान्सफर इन्ट्री से सम्बन्धित कृषकों का रजिस्टर गन्ना

विकास परिषद स्तर पर अनुरक्षित रखा जायेगा जिसे ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा राजस्व अभिलेख एवं गन्ना सर्वे के आधार पर सत्यापित किया जायेगा। उक्त समस्त कार्यवाही प्री–कलेण्डर जारी होने के पूर्व अवश्य पूर्ण कर ली जाये।

5(v–ख) कोई गन्ना कृषक सहकारी गन्ना विकास समितियों की दोहरी सदस्यता ग्रहण नही कर सकेगा। गन्ना कृषक जिस समिति क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास व गन्ने की खेती करता हो, उसी गन्ना समिति का सदस्य होगा किन्तु उसके पास यदि एक से अधिक गन्ना समिति/जिलों में जमीन है तथा वह उस पर गन्ने की खेती करता है तो उसे गन्ना आपूर्ति की सुविधा उसी क्षेत्र की सम्बन्धित गन्ना समिति के नजदीकी क्रय केन्द्र पर जिला गन्ना अधिकारी द्वारा अनुमन्य की जायेगी। इस हेतु उसके बेसिक कोटा के आधार पर अलग–अलग समिति/जिलों में स्थित गन्ना क्षेत्रफल हेतु द्वितीय/तृतीय सट्टा अलग–अलग जिले/समिति से संचालित होगा।

5(vi–क) चीनी मिल द्वारा कम से कम चार दिन पूर्व गन्ना आपूर्ति का इण्डेन्ट समिति को दिया जाना अनिवार्य होगा। मिल एवं गन्ना समिति के सचिव का उत्तरदायित्व होगा कि तुलने वाली पर्चियों का विवरण तौल तिथि को सम्बन्धित कय केन्द्र तथा **ग्राम के किसी सार्वजनिक स्थान पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाता रहे,** जिससे कृषक अपनी पर्ची विवरण देखकर गन्ना आपूर्ति सुविधापूर्वक कर सकें। कय केन्द्र पर दैनिक तौल सम्बन्धी विवरण भी नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जायेगा, जिसमें उस तिथि में तुलने वाली पर्ची (अगैती/सामान्य प्रजातियाँ) की संख्या तथा निरस्त अथवा समायोजित होने वाली पर्चियों का भी उल्लेख किया जायेगा। उपर्युक्त के लिए गन्ना प्रबन्धक, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक तथा समिति सचिव अपने अपने क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होगें।

5(vi–ख) कृषक अपना गन्ना मिल गेट अथवा कयकेन्द्रों पर जहां से वह सम्बद्ध कृषक है, हेतु जारी पर्ची के अनुरूप ही निर्धारित तिथि/स्थल मे तुलवायेंगें। यदि चीनी मिल द्वारा पर्चियों की तौल हेतु अनुमन्य अवधि के पश्चात् भी उस पर गन्ना तौल लिया जाता है तो सम्बन्धित मिल के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। विशेष परिस्थितियों में यदि कृषक पर्ची पर अंकित तिथि में गन्ना नहीं तुलवा पाता है तो एस.जी.के. में Automatic Online Purchi Revalidation की सुविधा के अन्तर्गत कृषक को Revalidate SMS Purchi उसके रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर उपलब्ध हो जायेगी।

5(vii) मिल चलने से एक सप्ताह पूर्व कलेण्डर अनिवार्य रूप से तैयार कर कृषकों को एस.जी.के. के अन्तर्गत विकसित वेबसाइट caneup.in एवं मोबाईल एप e-Ganna पर आनलाइन **उपलब्ध करा दिया जायेगा। कृषकों को कलेण्डर निर्धारित समय सीमा के अन्दर उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित सचिव एवं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक तथा चीनी मिलों का होगा।**

5(viii) गन्ने की समानुपातिक खरीद के सिद्धान्त का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा। चीनी मिल द्वारा समानुपातिक आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए ही समिति को एस.जी.के. के अन्तर्गत आनलाइन इन्डेण्ट दिया जाएगा। जिला गन्ना अधिकारी केन

इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी की बैठक में इसकी बराबर समीक्षा करते रहेंगें तथा आवश्यकतानुसार कयकेन्द्रों के इन्डेन्ट का निर्धारण करेंगें जिसका पालन चीनी मिल द्वारा किया जायेगा।

5(ix) समानुपातिक खरीद सुनिश्चित करते हुये यह ध्यान रखा जायेगा कि सभी कयकेन्द्रों का गन्ना लगभग एक साथ समाप्त हो। **कोई कयकेन्द्र तभी बन्द किया जायेगा जबकि कलेण्डर में अंकित सभी कृषकों की पर्चियां जारी हो चुकी हों।** सुरक्षण आदेश में अंकित निर्देशों के अनुसार चीनी मिल द्वारा पेराई सत्र का समापन गन्ना आयुक्त की अनुमति के उपरान्त किया जायेगा।

5(x) ऋण वसूली का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित गन्ना/चीनी मिल समिति के सचिव का होगा।

5(xi) प्राथमिकता के आधार पर पर्चियां केवल राजस्व विभाग/जिलाधिकारी द्वारा घोषित दैवीय आपदा के लिए कृषकों के सट्टे के भीतर दी जाएगी।

5(xii) यदि पेराई सत्र के दौरान यह पता चले कि किसी समिति सदस्य के पास उतना गन्ना नही है, जितने के लिए उसने सट्टा किया है, तो गन्ना समिति के सचिव कृषक को नोटिस देते हुए पर्चियां तुरन्त बन्द कर देगें और अग्रिम कार्यवाही हेतु अपनी आख्या ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक/जिला गन्ना अधिकारी को भेजेंगें। **ऐसे गन्ना कृषक जिन्होंने गलत तथ्य प्रस्तुत करके अधिक/अनियमित सट्टा कराया है, उनकी सदस्यता समाप्त करने हेतु सम्बन्धित सचिव द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।**

5(xiii) पर्ची निष्कासन की सूचना एस.एम.एस. पर्ची के द्वारा कृषकों के पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी तथा प्रेषित एस.एम.एस. पर्ची के साथ कृषक अपना पहचान पत्र दिखाकर गन्ने की तुलाई करा सकेंगे। एक समिति पर्ची पर केवल एक ही बार गन्ने की तौल की जायेगी। **किसी समिति पर्ची पर एक से अधिक बार तौल करने पर मिल तौल लिपिक तथा समिति लिपिक सीधे उत्तरदायी होगे तथा उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।**

5(xiv) कृषकों की सुविधा हेतु किसी भी पर्ची पर निर्धारित वजन से 15 प्रतिशत तक अधिक गन्ना तौला जा सकेगा, परन्तु इस प्रकार निर्धारित वजन से अधिक तौले गये (ओवरवेट) गन्ने की कुल कमिक मात्रा यदि कृषक के बेसिक मोड की पर्ची के बराबर हो जाती है, तो इस अधिक तौले गये गन्ने की मात्रा (ओवरवेट) को उसकी आगामी पर्ची में समायोजित कर दिया जायेगा तथा समायोजन की व्यवस्था ऑनलाइन की जायेगी।

5(xv) विगत वर्षों में चीनी मिल को सुरक्षित/अभ्यर्पित कयकेन्द्रों के कुछ कृषक अपने साधनों द्वारा सम्बन्धित चीनी मिलों के गेट पर गन्ना आपूर्ति करते रहे हैं। ऐसे कृषकों को इस वर्ष भी उसी चीनी मिल के गेट/कयकेन्द्रों मे से किसी एक पर ही गन्ना आपूर्ति की सुविधा रहेगी। यदि कृषक कयकेन्द्र से मिलगेट पर गन्ना आपूर्ति की सुविधा चाहते है तो सम्बन्धित मिल की सहमति से ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक से स्वीकृति के उपरान्त यह सुविधा अनुमन्य होगी। एक बार प्रदान की गई

सुविधा पूरे सत्र के लिए प्रभावी होगी। यदि कोई कृषक किन्ही विशेष व्यावहारिक कठिनाइयोंवश उसी चीनी मिल के दूसरे कय केन्द्रों पर गन्ना आपूर्ति की सुविधा चाहता है तो आवश्यक जांच तथा चीनी मिल एवं सम्बन्धित गन्ना समिति की सहमति के उपरान्त यथोचित आदेश सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी द्वारा प्रसारित किया जा सकता है। **गन्ना तौल परिवर्तन हेतु उपर्युक्त उल्लिखित व्यवस्था में एक से अधिक बार परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।** कयकेन्द्र परिवर्तन हेतु सामान्य कृषकों से रू.100/– प्रति कृषक, लघु एवं सीमान्त कृषकों से रू.50/– प्रति कृषक तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों से रू.10/– प्रति कृषक की दर से शुल्क जमा कराया जायेगा, अथवा कृषक की सहमति के आधार पर गन्ना मूल्य से समायोजित किया जायेगा।

5(xvi) जले हुये गन्ने की पर्ची कृषक के आवेदन करने पर सचिव एवं गन्ना प्रबन्धक अथवा उसके प्रतिनिधि के स्थल सत्यापन के पश्चात सट्टे के अर्न्तगत अलग से जारी की जा सकेगी। इसका विवरण पृथक से रखा जायेगा। अग्रेतर जले गन्ने का मूल्य निर्धारण गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश के परिपत्रांक : 282/सी, दिनांक 16.02.1990 में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत **पाक्षिक रूप से सम्बन्धित जिलाधिकारी से कराने का दायित्व जिला गन्ना अधिकारी का होगा।**

6– गन्ना आपूर्ति कार्य का कम्प्यूटरीकरण :–

6(i) गन्ना संघ द्वारा केन्द्रीयकृत वेबवेस्ड व्यवस्था के अन्तर्गत विकसित स्मार्ट गन्ना किसान (एस.जी.के.) के अन्तर्गत अधीनस्थ गन्ना समितियों को कम्प्यूटरीकृत किया जायेगा तथा गन्ना पर्चियों का निगर्मन किया जायेगा।

6(ii) कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था का संचालन उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 एवं नियमावली, 1954 तथा गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत आपूर्ति नीति तथा समय–समय पर दिए गये सुसंगत निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

6(iii) कम्प्यूटरीकरण से गन्ना कृषकों का सीधा हित एवं उद्देश्य जुडा हुआ है। अतः इस व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता रखी जायेगी।

6(iv) गन्ना/चीनी मिल समिति स्तर पर, कम्प्यूटरीकरण करके कृषकों को आपूर्ति हेतु पर्चियां निर्गत कराने तथा बैंक एडवाइज भेजने आदि सभी कार्य को सम्पादित कराने के लिए की गई व्यवस्था पूर्णतः केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी के पर्यवेक्षण/निर्देशन में रहेगी।

6(v) गन्ना आपूर्ति से सम्बन्धित साफ्टवेयर के सत्यापन हेतु आवश्यक सिक्योरटी चेक की व्यवस्था गन्ना संघ के स्तर से की जायेगी।

6(vi) प्रत्येक चीनी मिल के मिलगेट पर गन्ने से भरी बैलगाडी से लेकर भरे ट्रक तक की तौल करने की क्षमता वाला हस्तचालित तौलयंत्र (टेस्टिंग बेब्रिज) जांच हेतु स्थापित किया जायेगा जिसका प्लेटफार्म न्यूनतम इतना बड़ा रखा जायेगा कि जिस पर ट्रैक्टर एवं ट्राली जुड़े हुए एक साथ खड़े किये जा सके। **इस व्यवस्था के**

सुचारू पर्यवेक्षण/कियान्वयन हेतु गन्ना निरीक्षक/सहायक चीनी आयुक्त उत्तरदायी होंगे।

6(vii) गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा सुरक्षण आदेशों तथा उसमें समय–समय पर किये गये संशोधन को आदेश प्राप्ति के 48 घण्टे के अन्दर कियान्वित कर दिया जायेगा।

6(viii) सत्र के दौरान गन्ना सर्वेक्षण आंकड़ों में यदि कोई संशोधन अथवा परिवर्तन किया जाना अपरिहार्य हो तो उसका निर्धारित प्रारूप पर रजिस्टर तैयार किया जायेगा तथा यह संशोधन केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी की बैठक में समीक्षा के उपरान्त सुसंगत कारकों पर विचार करते हुए लिये गये निर्णय के कम में की गयी संस्तुति पर उप गन्ना आयुक्त स्तर से अनुमति उपरान्त किया जायेगा। केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी की बैठक में विचार किये जाने योग्य प्रकरण सम्बन्धित सचिव/ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा बैठक की तिथि के पूर्व ही जिला गन्ना अधिकारी को प्रेषित कर दिए जायेगें। उपर्युक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक : 484/सी/समिति/पर्ची, दिनांक 24.11.2022 द्वारा निर्गत विस्तृत दिशानिर्देश के अनुसार ही नियमानुसार संशोधन की कार्यवाही की जायेगी।

6(ix) गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश को पूर्व में प्रेषित सूचना/प्रदत्त स्वीकृति के उपरान्त पेराई सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व गन्ना आपूर्ति, गन्ना तौल एवं गन्ना मूल्य भुगतान हेतु साफ्टवेयर का उपयोग किया जायेगा। अन्तिम कलेण्डर जारी करने के उपरान्त **गोपनीय पासवर्ड (लाक कोड) गन्ना आयुक्त, उ.प्र. द्वारा डाला जायेगा।** अग्रेतर यदि केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी की बैठक मे बिना विचार किये अथवा कोई गलत संशोधन फीड कराया जाता है तो सम्बन्धित सचिव, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं जिला गन्ना अधिकारी भी उत्तरदायी होगें।

6(x) कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था के अन्तर्गत फील्ड में किए गये गन्ना सर्वेक्षण के आंकड़े ऑनलाइन व्यवस्था के अन्तर्गत सीधे एस.जी.के. सिस्टम पर स्थानान्तरित होंगे तथा सर्वे पूर्ण होने के उपरान्त सिस्टम पर स्थानान्तरित आंकड़ों को ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा सत्यापन उपरान्त अन्तिम किया जायेगा।

6(xi) कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत कृषकों के लिए सुलभ स्थान पर टर्मिनल लगाकर पूछताछ केन्द्र स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा। टर्मिनल यथासम्भव ऐसी जगह पर लगाया जाए जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुविधापूर्वक किया जा सके। क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी व्यवस्था कर ली गई है।

6(xii) कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू की जायेगी तथा इसे आंशिक रूप से कियान्वित करने का विकल्प नहीं होगा। गन्ना सर्वेक्षण एवं गन्ना आपूर्ति से सम्बन्धित आंकड़ों से लेकर बैंक एडवाइज बनाने तक की सम्पूर्ण व्यवस्था कम्प्यूटर से की जायेगी।

6(xiii) यदि चीनी मिल द्वारा कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था संचालित की जाती है तो इस कार्य हेतु गन्ना समिति को देय अंशदान से कोई कटौती नहीं होगी तथा कम्प्यूटर स्टेशनरी का समस्त व्यय चीनी मिल द्वारा वहन किया जायेगा।

6(xiv) एस.जी.के. पर विभागीय नीतियों के अनुसार गन्ने की आपूर्ति कराने तथा पर्ची निष्कासन का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित गन्ना समिति के सचिव एवं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक का होगा।

7– पेड़ी, शरदकालीन एवं शीघ्र पकने वाली गन्ने की प्रजातियों की आपूर्ति :–

7(i) पेड़ी तथा शरदकालीन बावग (शीघ्र व मध्य देर) को उपलब्धता के आधार पर अधिकतम 31 जनवरी तक अथवा उसके पूर्व की तिथि, जब तक केवल पेडी एवं शरद बावग के गन्ने से मिल में पेराई सम्भव हो, गन्ने की आपूर्ति की जायेगी, 01 फरवरी से अथवा उससे पूर्व जैसा कि पेड़ी तथा शरदकालीन बावग की उपलब्धता हो, पौधे गन्ने की आपूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी। स्पष्टतः केवल पेडी गन्ने तथा शरदकालीन बावग के गन्ने की आपूर्ति पर 01 फरवरी के बाद मिल को नहीं चलाया जायेगा तथा पौधा गन्ने की खरीद अवश्य की जायेगी। कुल अनुबन्धित गन्ने की अधिकतम **52 प्रतिशत** सीमा तक गन्ने की आपूर्ति पेडी के रूप में **31 जनवरी तक** की जायेगी चाहे उसके पास इससे अधिक पेडी गन्ने की उपलब्धता क्यों न हो। अतिरिक्त उपलब्ध पेड़ी गन्ने की आपूर्ति पौधे गन्ने के साथ ली जायेगी।

7(ii) जिन चीनी मिल क्षेत्रों में शीघ्र पकने वाली प्रजातियों/शरद बावग का प्रतिशत अधिक है वहां पर चीनी मिलों की गन्ना पेराई 15 दिसम्बर तक केवल शीघ्र पकने वाली प्रजातियों के पेड़ी गन्ने/शरद बावग से आपूर्ति के आधार पर यथा सम्भव की जायेगी। प्रत्येक दशा में 15 दिसम्बर से अथवा शीघ्र पकने वाले प्रजातियों की उपलब्धता कम होने की स्थिति में उससे पूर्व की तिथि से सामान्य प्रजातियों की पेडी की आपूर्ति भी प्रारम्भ कर दी जायेगी।

7(iii) जहां शीघ्र पकने वाली प्रजातियों का गन्ना क्षेत्रफल अधिक है ऐसी मिलों को 15 अक्टूबर या इसके पूर्व चलाने के प्रयास किये जाए। शीघ्र पकने वाली प्रजाति का प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति हेतु सट्टा केवल कुल सट्टे का सामान्यतः उस सीमा तक ही किया जायेगा जिस सीमा तक उसके क्षेत्र में शीघ्र प्रजातियों का प्रतिशत है किन्तु यह 50 प्रतिशत से अधिक ग्राह्य न होगा।

7(iv) यदि जांच के समय यह पाया गया कि कोई कृषक शीघ्र पकने वाली प्रजातियों के नाम पर सामान्य प्रजाति के गन्ने का अपमिश्रण करके चीनी मिल को आपूर्ति करने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे कृषक को शीघ्र पकने वाले गन्ने की प्रजाति पर मिलने वाला अधिक मूल्य देय नहीं होगा तथा गन्ना मूल्य का भुगतान सामान्य प्रजाति की दर से किया जायेगा। साथ ही ऐसे कृषक के विरूद्ध सम्बन्धित समिति के सचिव/चीनी मिल के स्तर से नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

8– छोटे सट्टाधारक गन्ना कृषकों को गन्ना आपूर्ति में सुविधा :–

8(i) अपेक्षाकृत छोटे गन्ना किसानों के गन्ने को प्राथमिकता के आधार पर चीनी मिल चलने के 45 दिन के अन्दर पेडी गन्ना तथा पौधे गन्ने को 01 फरवरी से 45 दिन के अन्दर, क्रय किये जाने की व्यवस्था की जायेगी। बेसिक मोड (09 कुण्टल) की 08 (आठ) पर्चियों अर्थात् 72 (बहत्तर) कुण्टल के सट्टाधारक कृषक ही छोटे कृषक माने जायेंगें।

8(ii) चीनी मिल क्षेत्रों के लिए ऐसी प्रजातियों के गन्ने को जिन्हें चरणबद्ध तरीके से प्रतिबन्धित करने का निर्णय लिया जा चुका है, परिपक्वता अवधि को ध्यान में रखते हुए विलम्ब से आपूर्ति करने की व्यवस्था की जायेगी।

9– सैनिकों, अर्द्धसैनिक बलों, भूतपूर्व सैनिकों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रित सदस्यों की गन्ना आपूर्ति :–

सैनिकों, **अर्द्धसैनिक बलों (सी.आर.पी.एफ., बी.एस.एफ., एस.एस.बी., सी.आई.एस.एफ., आई.टी.बी.पी. एवं असम राइफल्स),** भूतपूर्व सैनिकों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके मृतक होने पर उनके विधिक उत्तराधिकारी को अन्य सदस्यों की अपेक्षा गन्ना आपूर्ति में 01 जनवरी से 20 प्रतिशत की प्राथमिकता दी जायेगी। यह सुविधा कृषक के सट्टे की मात्रा में समायोजित की जायेगी। सैनिक, अर्द्धसैनिक बलों अथवा भूतपूर्व सैनिक के नाम यदि जमीन नहीं है एवं उसके माता अथवा पिता के नाम सट्टा होता है तो उसके माता अथवा पिता के सट्टे में से किसी एक को ही यह सुविधा देय होगी। कार्यालय जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसके अतिरिक्त कार्यरत सैनिको के लिए एडजूटेन्ट (Adjutant) तथा अर्द्धसैनिक बलों के लिए कमांडेण्ट/कम्पनी कमाण्डर द्वारा प्रदत्त पहचान पत्र मान्य होगा।

10– गन्ने का पुनः सर्वेक्षण (रि–सर्वे) :–

सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं जिला गन्ना अधिकारी से प्राप्त प्रत्यावेदनों के परीक्षण के उपरान्त यदि किसी मिल क्षेत्र में रि–सर्वे कराया जाना अपरिहार्य हो तो क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त द्वारा यथा आवश्यक उस मिल क्षेत्र में गन्ने के रि–सर्वे की अनुमति प्रदान की जा सकती है। रि–सर्वे का कार्य विभागीय कार्मिकों एवं सम्बन्धित चीनी मिल कार्मिकों द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

11– गन्ना मूल्य भुगतान :–

11(i) कृषकों को गन्ना मूल्य का भुगतान पूर्व वर्षों की भांति बैंकों के माध्यम से बैंक एडवाइज द्वारा किया जायेगा। बैकों के माध्यम से गन्ना मूल्य भुगतान में यह ध्यान में रखा जाये कि जो कृषक जिस बैंक शाखा के निकट हो उसका खाता भी उसी बैंक की शाखा में खुलवाया जाये। किसी एक शाखा में बहुत अधिक कृषक सम्बद्ध न किए जाए। **किसी भी दशा में गन्ना कृषक को नकद भुगतान नहीं किया जायेगा।** जिला गन्ना अधिकारी एवं उप गन्ना आयुक्त का यह दायित्व होगा कि

वह इस निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा इसका उल्लंघन करने वाली चीनी मिलों के विरूद्ध कार्यवाही भी सुनिश्चित करायें।

11(ii) जहां चीनी मिलों के माध्यम से गन्ना मूल्य भुगतान का कार्य किया जा रहा है वहां प्रेषित बैंक एडवाइज की एक प्रति सम्बंधित चीनी मिलें नियमित एवं अनिवार्य रूप से सम्बन्धित गन्ना/चीनी मिल समिति को उपलब्ध करायेंगी, अन्यथा स्थिति में चीनी मिल के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। गन्ना/चीनी मिल समिति के सचिव का यह दायित्व होगा कि वह इसकी गम्भीरता से जांच करे तथा अनियमितता परिलक्षित होने की दशा में तत्काल निराकरण सुनिश्चित कराते हुए उच्च स्तर को सूचित करें। **अग्रेतर समिति ऋण व अन्य कटौतियों की स्थिति की भी जांच करते रहें। चीनी मिल द्वारा समिति ऋण एवं कटौतियों का भुगतान सम्बन्धित गन्ना/चीनी मिल समिति के गन्ना मूल्य के साथ–साथ समितियों को समानुपातिक रूप से किया जायेगा।**

11(iii) कृषकों द्वारा समिति के माध्यम से चीनी मिलों को जिस तिथि अनुक्रम में गन्ना आपूर्ति किया गया है, तद्नुक्रम में ही चीनी मिलें गन्ना मूल्य का भुगतान (First Supplied First Paid) साप्ताहिक/पाक्षिक रूप से सुनिश्चित करेंगी। चीनी मिल द्वारा जिस तिथि तक भुगतान खोला जायेगा उस तिथि तक देय समस्त गन्ना मूल्य की एडवाइज सभी कृषकों/बैंकों/समितियों को समान रूप से भेजी जायेगीं। **चीनी मिल द्वारा किसी तिथि तक भुगतान शुरू किये जाने के पश्चात् कुछ चुनिन्दा किसानों/बैंको/समितियों को मनमाने रूप से अलग–अलग तिथियों का भुगतान नहीं दिया जायेगा, अन्यथा स्थिति में चीनी मिल के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।**

11(iv) चीनी मिल द्वारा जिस तिथि तक कृषकों को गन्ना मूल्य का भुगतान किया जायेगा, समानुपातिक रूप से उसी तिथि तक खरीदे गये गन्ने पर देय गन्ना विकास अंशदान का भी भुगतान सम्बन्धित गन्ना/चीनी मिल समितियों/गन्ना विकास परिषदों को सुनिश्चित किया जायेगा।

12– गन्ना आपूर्ति एवं गन्ना मूल्य भुगतान के अभिलेखों की जांच तथा निरीक्षण :–

12(i) कृषकवार सट्टा निर्धारण सूचियों की एक प्रति जिला गन्ना अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को भी उपलब्ध कराई जायेगी। जिलाधिकारी सूचियों की यथा आवश्यक जांच अपने स्तर से भी करा सकते हैं तथा जांच रिपोर्ट से गन्ना आयुक्त को भी अवगत करा सकते हैं।

12(ii) कृषकवार सट्टा निर्धारण सूची एवं कलेण्डर जो चीनी मिल को दिया जायेगा उसके आंकड़ों की जांच चीनी मिल द्वारा भी की जा सकती है तथा जांच परिणाम से जिला गन्ना अधिकारी, उप गन्ना आयुक्त तथा गन्ना आयुक्त को अवगत कराया जा सकता है।

12(iii) समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्य अपने–अपने कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित ग्रामों की कृषकवार सट्टा निर्धारण सूचियों की आकस्मिक जांच कर सकते हैं, इस

हेतु उन्हें सूचियां सम्बन्धित समिति के सचिव द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। जांच के दौरान विभागीय अधिकारी भी साथ में उपस्थित रहेंगे।

12(iv) सम्बन्धित सचिव गन्ना समिति, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं जिला गन्ना अधिकारी द्वारा समय–समय पर गन्ना आपूर्ति एवं गन्ना मूल्य भुगतान सम्बन्धी अभिलेखों की जांच अवश्य की जायेगी तथा जांच प्रत्यावेदनों द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया जायेगा। जांच में पायी गयी त्रुटियों के लिए दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध गुण–दोष के आधार पर कार्यवाही भी सुनिश्चित करायी जायेगी।

12(v) गन्ने के सट्टा, कलेण्डरिंग आपूर्ति व्यवस्था, निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा हेतु गन्ना एवं चीनी मिल समितियों, चीनी मिलों का आकस्मिक निरीक्षण गन्ना आयुक्त स्तर से नियुक्त अधिकारियों द्वारा भी समय–समय पर किया जायेगा।

12(vi) सम्बन्धित चीनी मिल तथा गन्ना एवं चीनी मिल समिति का यह दायित्व होगा कि जांच के समय वांछित अभिलेख जांच अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे एवं उनके द्वारा इंगित कमियों का निराकरण सुनिश्चित करेंगी।

13– केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी :–

13(i) प्रत्येक चीनी मिल क्षेत्र हेतु एक केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी गठित होगी जिसके अध्यक्ष एवं संयोजक सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी होंगे। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित सहायक चीनी आयुक्त, खाण्डसारी अधिकारी, खाण्डसारी निरीक्षक, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, मिल को गन्ना आपूर्ति करने वाली सभी गन्ना समितियों के सभापति एवं सचिव तथा चीनी मिल के सामान्य प्रबन्धक/गन्ना प्रबन्धक इस कमेटी के सदस्य होंगे। सम्पूर्ण पेराई सत्र के दौरान सहायक चीनी आयुक्त अपने अधीनस्थ जिलों में आहूत केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी की बैठकों में चक्रानुक्रम (Rotational) में प्रतिभाग करेंगे। इसी क्रम में यह भी स्पष्ट करना है कि सम्बन्धित सहायक चीनी आयुक्त के, अन्य जिले की आहूत केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी की बैठक में प्रतिभाग करने की स्थिति में, सम्बन्धित खाण्डसारी अधिकारी अथवा खाण्डसारी निरीक्षक द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया जायेगा। अग्रेतर जिला गन्ना अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि चीनी मिल क्षेत्र की केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी की बैठकें नियमित रूप से पेराई सत्र की अवधि में प्रत्येक माह की 02 एवं 17 तारीख अथवा अवकाश होने की दशा में उक्त के तत्काल बाद अनिवार्य रूप से होती रहें।

13(ii) जिला गन्ना अधिकारी/अध्यक्ष, केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी का यह भी दायित्व होगा कि यदि कोई चीनी मिल समानुपातिक ढंग से गन्ने की खरीद न कर रही हो तो वे केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी की बैठक में समीक्षा करते हुए क्रय केन्द्रवार समानुपातिक इण्डेन्ट निर्धारित करें तथा सम्बन्धित सचिव, गन्ना एवं चीनी मिल समितियां तद्नुसार चीनी मिल से इण्डेन्ट प्राप्त कर गन्ना तौल कार्य सुनिश्चित करायें।

13(iii) केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी की बैठक में गन्ने की उपलब्धता, कृषकों के सट्टे में प्रस्तावित संशोधनों, क्रय केन्द्रों का संचालन, समानुपातिक गन्ना खरीद एवं गन्ना मूल्य भुगतान, कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत पर्ची निर्गमन, गन्ना पेराई की प्रगति, टैगिंग आदेश का अनुपालन, चीनी विक्रय, समितिवार एवं चीनी मिलवार आफर एवं एग्रीमेन्ट की कार्यवाही, एस.जी.के. के माध्यम से तौल लिपिकों के आनलाइन लॉटरी पद्धति द्वारा अनिवार्य रूप से पाक्षिक स्थानान्तरण, ऋण वसूली की प्रगति तथा गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश के स्तर से समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन व अन्य आवश्यक सामयिक बिन्दुओं की समीक्षा की जायेगी तथा आवश्यक निर्देश दिए जायेंगें। तौल लिपिकों के आनलाइन पाक्षिक स्थानान्तरण के तत्काल उपरान्त कार्यवाही की वीडियो प्रोसीडिंग शुगरकेन डिपार्टमेण्ट, उ.प्र. के व्हाट्सएप ग्रुप पर जिला गन्ना अधिकारी द्वारा प्रेषित की जायेगी। तौल लिपिकों के स्थानान्तरण के उपरान्त इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि तौल लिपिकों के आनलाइन स्थानान्तरण से क्रय केन्द्रों पर गन्ना तौल का कार्य प्रभावित न हो। इसके लिए स्थानान्तरित तौल लिपिकों में से आधे तौल लिपिक प्रत्येक माह की **03 व 18 तारीख** तथा आधे तौल लिपिक **04 व 19 तारीख** को नये तौल क्रय केन्द्रों पर तौल कार्य हेतु उपस्थित हो जायें। प्रत्येक पक्ष में एस.जी.के. पोर्टल से लॉटरी द्वारा आनलाइन स्थानान्तरित तौल लिपिकों की संख्या के साथ ही प्रत्येक चीनी मिल द्वारा संचालित कुल गन्ना क्रय केन्द्रों की संख्या के सापेक्ष न्यूनतम 10 प्रतिशत अतिरिक्त मिल तौल लिपिकों को आरक्षित रखा जाये ताकि एस.जी.के. द्वारा किये गये पाक्षिक स्थानान्तरण के क्रम में यदि किसी क्रय केन्द्र पर स्थानान्तरित तौल लिपिक द्वारा 02 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो आरक्षित तौल लिपिकों में से यथावश्यक मिल तौल लिपिकों की सम्बन्धित क्रय केन्द्रों पर पुनः तैनाती एस.जी.के. पोर्टल से लॉटरी पद्धति द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। किसी भी स्थिति में चीनी मिल अथवा विभागीय अधिकारियों द्वारा मिल तौल लिपिकों की तैनाती मैनुअल नहीं की जायेगी तथा डमी तौल लिपिकों की तैनाती नहीं होगी। अन्यथा की स्थिति में मिल अध्यासी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। **प्रत्येक माह की 03 तथा 18 तारीख को केन इम्प्लीमेण्टेशन कमेटी की बैठक का लिखित कार्यवृत्त जिला गन्ना अधिकारी द्वारा सम्बन्धित उप गन्ना आयुक्त को अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जायेगा। सम्बन्धित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त इसका परीक्षण कर सम्बन्धित नोडल अधिकारी के माध्यम से अपवाद रिपोर्ट गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रेषित करेंगे।**

13(iv) यदि चीनी मिल द्वारा समानुपातिक गन्ना खरीद एवं समानुपातिक गन्ना मूल्य भुगतान नहीं किया जाता है या गन्ना खरीद/गन्ना मूल्य भुगतान में अनियमिततायें जारी रखी जाती है तो उसके विरूद्व वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। **इस सम्बन्ध में जिला स्तर पर जिला गन्ना अधिकारी तथा परिक्षेत्र स्तर पर उप गन्ना आयुक्त उत्तरदायी होगें।** अग्रेतर सम्बन्धित उप गन्ना आयुक्त ऐसे प्रकरणों से गन्ना आयुक्त को भी अवगत करायेंगें।

14– गन्ना आपूर्ति के सम्बन्ध में स्थानीय समस्याओं एवं शिकायतों का निराकरणः–

14(i) गन्ना आपूर्ति के सम्बन्ध में कोई विशेष तात्कालिक समस्या उत्पन्न हो जाने की स्थिति में जिला गन्ना अधिकारी एवं क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त द्वारा तुरन्त

नियमानुसार निराकरण कराते हुए कृत कार्यवाही से गन्ना आयुक्त को अवगत कराया जायेगा।

14(ii) गन्ना आपूर्ति सम्बन्धी शिकायतों के शीघ्र निराकरण हेतु जिला गन्ना अधिकारी द्वारा प्रत्येक समिति क्षेत्र में एक कमेटी का गठन किया जायेगा जिसमें गन्ना विकास निरीक्षक एवं सम्बन्धित मिल के समकक्षीय अधिकारी को संयुक्त रूप से शिकायत अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। शिकायत अधिकारी द्वारा शिकायतों का एक रजिस्टर रखा जायेगा तथा शिकायतों का निस्तारण करके सम्बन्धित शिकायतकर्ताओं को भी अवगत करायेंगे।

14(iii) प्रदेश के गन्ना कृषकों द्वारा गन्ना आयुक्त कार्यालय में स्थापित **टोल फ्री नम्बर : 1800–121–3203** पर दर्ज करायी गयी शिकायतों का निस्तारण क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा प्राथमिकता पर किया जायेगा।

15– नीतियों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही का दायित्व :–

अपने–अपने कार्यक्षेत्र में जिला गन्ना अधिकारी, उप गन्ना आयुक्त एवं सहायक चीनी आयुक्त का यह दायित्व होगा कि वे उक्त निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित संस्था एवं कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

16– गन्ना आपूर्ति से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों की समय सारिणी :–

गन्ना आपूर्ति से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों की संक्षिप्त समय सारिणी एवं उत्तरदायी कर्मचारी एवं अधिकारियों का विवरण संलग्नक में अंकित है।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में पूर्व में प्रसारित समस्त आदेशों को अवक्रमित करते हुए पेराई सत्र 2023–24 के लिए गन्ने के सट्टे एवं आपूर्ति की नीति, **उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 के नियम–57** के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी की जा रही है। इसके अतिरिक्त कोविड–19 के दृष्टिगत राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग के स्तर से समय–समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए मास्क के प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग तथा सैनेटाइजेशन का विशेष ध्यान रखा जाये।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश

पृष्ठांकन संख्या :97/सी/क्रय–2/सट्टा नीति/02/2023–24/दिनांक : 12.05.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त (गन्ना उत्पादक मण्डल)।

2. समस्त जिलाधिकारी (गन्ना उत्पादक जिले)।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ।
5. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी गन्ना समिति संघ लि., लखनऊ।
7. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद्, शाहजहाँपुर।
8. समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
9. मुख्य प्रचार अधिकारी, मुख्यालय एवं क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी, बरेली, मेरठ, लखनऊ एवं गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त का व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करायें।
10. समस्त उप चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त बीज उत्पादन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना विकास निरीक्षक, सचिव/विशेष सचिव, सहकारी गन्ना विकास समितियां एवं सचिव, चीनी मिल समितियां, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उपर्युक्त निर्गत निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
14. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, बापू भवन, लखनऊ को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
15. निजी सचिव, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, बापू भवन, लखनऊ को विशेष सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
16. अध्यासी/प्रधान प्रबन्धक, समस्त चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश।
17. महासचिव, उ.प्र. चीनी मिल्स एसोसियेशन, 403, चिन्टल्स हाउस, 16–स्टेशन रोड, लखनऊ।
18. प्रबन्ध निदेशक, बजाज एवं मोदी चीनी मिल्स समूह (नॉन–यू.पी.एस.एम.ए.)।

12.05.2023

(विश्वेश कनौजिया)
संयुक्त गन्ना आयुक्त (क्रय)
कृते गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश

गन्ना आपूर्ति से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों की समय–सारणी

क्र. सं.	कार्य का विवरण	पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	उत्तरदायी अधिकारी/ कर्मचारी
1	कृषकवार सर्वे एवं सट्टे की सूचियों का ग्रामवार सार्वजनिक प्रदर्शन	20 जुलाई से 30 अगस्त, 2023 तक	सचिव, गन्ना/चीनी मिल समितियां, ज्ये.ग. वि.नि तथा मिल के गन्ना प्रबन्धक
2	प्री–कलेण्डर का आनलाइन वितरण	01.09.2023 से 10.09.2023 तक	सचिव, गन्ना/चीनी मिल समितियां, ज्ये.ग. वि.नि तथा मिल के गन्ना प्रबन्धक
3	समिति स्तरीय सट्टा प्रदर्शन	11.09.2023 से 30.09.2023 तक	सचिव, गन्ना/चीनी मिल समितियां, ज्ये.ग. वि.नि तथा मिल के गन्ना प्रबन्धक
4	नये सदस्यों की भर्ती	30 सितम्बर 2023 तक	सचिव, गन्ना/चीनी मिल समिति
5	कृषकवार सटटे की मात्रा का आगणन	10 अक्टूबर 2023 तक	सचिव, गन्ना/चीनी मिल समितियां, ज्ये.ग. वि.नि तथा मिल के गन्ना प्रबन्धक
6	अन्तिम कलेण्डर की आनलाइन उपलब्धता तथा बैंकों के माध्यम से गन्ना मूल्य भुगतान हेतु व्यवस्थायें सुनिश्चित करना।	मिल चलने के एक सप्ताह पूर्व	सचिव गन्ना/चीनी मिल समिति/ज्ये.ग. वि.नि./मिल के गन्ना प्रबन्धक/सम्बन्धित चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक/अध्यासी
7	कृषकों में अंतिम कलेण्डर का आनलाइन वितरण	मिल चलने के एक सप्ताह पूर्व	सचिव, गन्ना/चीनी मिल समितियां, ज्ये.ग. वि.नि तथा मिल के गन्ना प्रबन्धक
8	केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी की बैठक	प्रत्येक माह की 02 व 17 तारीखें	जिला गन्ना अधिकारी
9	केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी की बैठकों का ब्यौरा भेजना	प्रत्येक माह की 03 तथा 18 तारीखें	–तदैव–
10	गन्ना आपूर्ति तथा गन्ना मूल्य भुगतान के अभिलेखों का निरीक्षण	(क) पक्ष में एक बार (ख) आकस्मिक निरीक्षण	जिला गन्ना अधिकारी, क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त,
11	गन्ना मूल्य भुगतान हेतु टैगिंग आदेशों का निर्गमन	30 सितम्बर तक	जिला गन्ना अधिकारी
12	गन्ना मूल्य भुगतान एवं टैगिंग आदेशों का अनुपालन आदि	परिपत्रांकः 2833/सी/ क्रय दिनांक 22.08.2017 एवं तद्क्रम में समय–समय पर निर्गत निर्देशानुसार	जिला गन्ना अधिकारी, क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त,
13	गन्ना आयुक्त स्तर से नामित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण	समय–समय पर	सभी नामित अधिकारी
14	चीनी मिल चलने/बन्द होने की सूचना उप गन्ना आयुक्त, जिलाधिकारी एवं गन्ना आयुक्त कार्यालय को देना।	चीनी मिल चलने/बन्द होने की वास्तविक तिथियां	सम्बन्धित चीनी मिलें, सचिव, सम्बन्धित गन्ना/चीनी मिल समितियां एवं जिला गन्ना अधिकारी

उपरोक्त कार्यों को अपने अधीनस्थ क्षेत्र में समय से पूर्ण कराने हेतु जिला गन्ना अधिकारी एवं उप गन्ना आयुक्त उत्तरदायी होगें।

ह० 12.05.2023
(विश्वेश कनौजिया)
संयुक्त गन्ना आयुक्त (क्रय)
कृते गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश